फतेहपुर पुलिस
denim

प्रेस नोट

थाना असोथर एवं स्वाट टीम द्वारा दिनांक 06.02.2021 को एक अज्ञात महिला की हत्या का खुलासा कर आला कत्ल 05 अदद चाकू बरामद व हत्या में शामिल 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार सम्बन्धित मु0अ0सं0 28/21 धारा 302/201 भादवि थाना असोथर फतेहपुर

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर द्वारा अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी थरियांव के कुशल मार्गदर्शन व थानाध्यक्ष असोथर व स्वाट टीम के द्वारा थाना असोथर क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सरवल में फइया दुबे के सरसो के खेत में दिनांक 06.02.2021 को एक अज्ञात महिला की सिर कटा शव बरामद हुआ था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 28/2021 धारा 302/201 भादवि0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था मृतका के शव के पास से एक कागज के टुकड़े पर 02 मोबाइल नम्बर अंकित किया हुआ कागज मिला था जिन नम्बरो को सर्विलांस टीम के द्वारा प्राप्त सीडीआर के अवलोकन से आज दिनाँक 10.02.2021 को घटना का सफल अनावरण करते हुये 03 नफर अभियुक्त 1. भोला दुबे पुत्र रामभवन दुबे, 2.अमित दुबे पुत्र गोरेलाल दुबे निवासीगण सेवरामऊ थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर, 3.उमेश चन्द्र तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी पुत्र रामनारायण तिवारी निवासी दाँदो थाना कमासिन जनपद बाँदां को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त भोला दुबे द्वारा बताया गया कि माह नम्बर में मेरे द्वारा मृतका शिवानी पुत्री स्व0 सुखई निवासिनी आदमपुर नौबस्ता थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ को भगाकर लाया गया था तथा आपसी प्रेम प्रसंग में मनमुटाव के कारण मेरे व मेरे साथियो की मदद से दुपट्टा से गला घोटकर चाकुओं से गला काटकर शिवानी की हत्या कर और उसका धड़ ग्राम सरवल में सरसों के खेत में छोड़ कर साक्ष्य मिटाने के लिये उसका सिर बैंग में भरकर कुआ में फेंक देने की बात स्वीकार किया। जिसकी सूचना थाना गोसाईगंज को दी गयी तथा उक्त के सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ में गुमशुदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 595/20 धारा 363 भादवि मृतका की माँ सुखरानी द्वारा पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना प्रचलित थी जिसमें मृतका के परिजनों द्वारा मृतका की पहचान शिवानी उपरोक्त के रुप में की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तो की निशादेही पर मृतका का सिर शंकर जी के मन्दिर के पास झल्लर दुबे के कुआ से बरामद किया गया साथ ही हत्या में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल यूपी 90 क्यू 8557 होन्डा साइन रंग काला व आला कत्ल 05 अदद चाकू बरामद किया गया। मृतका के शव को डाक्टरों के पैनल द्वारा विडियोग्राफी कराते हुये पोस्टमार्टम कराकर मृतका शिवानी के शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया। विधिक कार्यावाही की जा रही है। उक्त घटना के खुलासे के प्रोत्साहन राशि 15000/- रुपये श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी।

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास

नाम पता अभियुक्त	अपराधिक इतिहास		थाना	जनएद
1. भोला दुबे पुत्र रामभवन दुबे निवासी सेवरामऊ थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर	1	मु0अ0सं0 28/2021 धारा 302/201 भादवि0	असोथर	फतेहपुर
	2	मु0अ0सं0 595/20 धारा 363 भादवि	गोसाईगंज	लखनऊ
2.अमित दुबे पुत्र गोरेलाल दूबे निवासी सेवरामऊ थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर	1	मु0अ0सं0 28/2021 धारा 302/201 भादवि0	असोथर	फतेहपुर
3.उमेश चन्द्र तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी पुत्र रामनारायण तिवारी निवासी दाँदो थाना कमासिन जनपद बाँदा	1	मु0अ0सं0 28/2021 धारा 302/201 भादवि0	असोथर	फतेहपुर

बरामदगी का विवरण-

1- आला कत्ल 05 अदद चाकू।

2- घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल 01 अदद।

Scanned with CamScanner

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

नाम अधि0/कर्म0गण	थाना	स्वाट टीम फतेहपुर
रणजीत बहादुर सिंह -(थानाध्यक्ष)	असोथर	1- उ0नि0 विनोद मिश्रा-(स्वाट प्रभारी)
हे0का0 वशिष्ठ सिंह	असोथर	2- उ0नि0 विपिन प्रकाश सिंह
का0 आशीष कुमार यादव	असोथर	3- उ0नि0 विपिन कुमार यादव
का0 अजीत कुमार सिंह	असोथर	4- हे0का0 राजेश सिंह
का0 योगेश कुमार राय जी	असोथर	5- हे0का0 जावेद
का0 विनोद कुमार	असोथर	6- का0 पंकज सिंह
		7- का0 अजय
		8- का0 अतुल
		9- का0 विपिन
		10- का0 रविशंकर दुबे